परिशिष्ठ

(देखिये नियम–6)

राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमती लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव–/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।		**जनपद देहरादून में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि0मी0), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**
ख) 1:50,000 स्केल मेंप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मेंप।	–	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	–	**869.48** लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	–	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	–	लागू नहीं ।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	–	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	–	सिविल सोयम भूमि – 3.6365 है0। वन पंचायत भूमि – 2.2330 है0। कुल भूमि – **5.8695 है0 ।**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	–	लागू नहीं है।

क) परिवारों की संख्या	–	शून्य
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	–	शून्य
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–	शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	–	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	–	संलग्न है
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	–	संलग्न है

दिनाँक ....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान ....

नाम :–

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	(राजेश कुमार) अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई	पी0एम0जी0एस0वाई	पी0एम0जी0एस0वाई
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,हरिद्वार
(मुख्यालय कालसी), देहरादून	(मुख्यालय कालसी), देहरादून	(मुख्यालय कालसी), देहरादून

प्रस्ताव की क्रम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग–।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या....................

परियोजना/स्कीम का सीन	–	**जनपद देहरादून में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दमन से दसउ मोटर मार्ग (12.675 कि0मी0), के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
ii) जिला	–	देहरादून
iii) वन प्रभाग	–	चकराता वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	–	5.8695 है0
v) वन की कानूनी स्थिति	–	सिविल सोयम वन भूमि
vi) हरियाली का घनत्व 0.1 से 0.2 तक	–	
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	संलग्न है
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	संलग्न है
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–	1000 मी0 (लगभग)
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	–	नहीं
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	–	नहीं
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	–	नहीं
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
9– क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	–	वन अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। – प्रतिपूरक वनीकरण सिविल एवं सोयम मौजा .... में किया जाना है।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मेंप। – मैप संलग्न है

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि। – संलग्न है

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। 5.8695×2=11.739 @ 1,30000=0 प्रति है0 15 26070=00

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। – संलग्न है

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत: उपर्युक्त कॉलम 7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) –

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र। – 3088 व किमी है0
ii. जिले का वन क्षेत्र। – 2116.91 व किमी है0
iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। –
iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण – 346.102 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि –
(ख) वनेत्तर भूमि पर .... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर – 673.61 है0
(ख) वनेत्तर भूमि पर – (–) है0

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। [illegible] ग्रामीणों को आवागमन एवं [illegible] [illegible] एवं नगदी फसलों को बाजार तक [illegible] [illegible] मार्ग निर्माण की [illegible] की जाती है। [illegible] 12 [illegible] @ 20000=00 25,35000 [illegible]

दिनाँक..................

हस्ताक्षर [signature]

नाम (S. [illegible])

स्थान [illegible]

सरकारी मोहर: उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता (देहरादून)

[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी

भाग–।।।

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। –

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। –

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि..................

स्थान..................

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये) –

हस्ताक्षरः

तथि :....................

स्थान :......................

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए) –

हस्ताक्षरः

तिथि :....................

स्थान :........................

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, PMGSY Construction Division, PWD, Haridwar (Headquater Kalsi) Dehradun for diversion under FCA-1980) of **5.8695** ha of forest land non-forestry purpose The project envisages the use of forest land for construction of Daman to Dasau Motor Road under PMGSY **12.675** kms. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring **5.8695** ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col 2 part-1 is unavoidable and is minimum required for the project yes

Whether any rare/ endangered/unique species of flora and fauna found in the area, if, so the detail there of:- NO

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC form competent authority, if required. NO

The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. ✓

It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per Para 19 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached ✗

specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal

Signature [signature]

Place : चकराता ....

Date : :....................

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

Name...(S.J. ...T. Srinivas... I.F.S.)

Designation प्रभागीय वनाधिकारी

Office Seal चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

NB **x.** state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
xx. out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which in not applicable

As per letter 2-2/2000 FC dated 16102000 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving leases then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCP is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation forests is required